न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 487/2017

1. रामनिवास पुत्र श्री नानूराम जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।

2. रामेश्वर पुत्र श्री बिरदाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर,जयपुर।

3. श्री खेमचन्द पुत्र श्री कानाराम, जाति जाट, नि–ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जयपुर।

4. श्री भोलूराम पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील जिला जयपुर।

– अपीलार्थीगण–

बनाम

1. राहूल पुत्र श्री बलराम, जाति जाट, उम्र अवयस्क, निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संजू देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. कृष्णा पुत्री श्री बलराम, जाति जाट, उम्र अवयस्क, निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संजू देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3. विशाल पुत्र श्री बलराम, जाति जाट, उम्र अवयस्क निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता मंजू देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. राजवीर पुत्र श्री बलराम जाति जाट, उम्र अवयस्क निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता मंजू देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. श्री बलराम पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6. श्रीमती सायरी देवी पत्नी स्व0 श्री धीसा जाति जाट निवासी ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7. श्रीमती कोयली देवी पुत्री श्री धीसा पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी ग्राम महेशववासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

8. श्रीमती कमली देवी पुत्री श्री धीसा पत्नी श्री ईश्वरलाल जाति जाट, निवासी ग्राम महेशवाकलां तहसील आमेर, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम सरदारपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

9. श्रीमती बबली देवी पुत्री श्री धीसा पत्नी श्री अर्जुर्न जाति जाट निवासी ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम बोयतावाला बैनाड तहसील व जिला जयपुर।

10. श्री दीनदयाल चौधरी पुत्र श्री हरिनारायण चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम सिरसी तहसील आमेर, एवं जिला जयपुर।

11. श्री राजवीर चौधरी पुत्र श्री हरिनारायण चौधरी जाति जाट, निवासी ग्राम सिरसी तहसील आमेर एवं जिला जयपुर।

12. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर पताः– तहसील कार्यालय परिसर, आमेर जिला जयपुर।

13. उप पंजीयक आमेर पताः– तहसील कार्यालय परिसर, उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।

14–श्रीमति लाडा पत्नि नानू राम जाति जाट निवासी–महेशवास कंला तहसील आमेर जिला जयपुर

15–श्रीमति संतोष पत्नि रामनारायण जाति जाट निवासी–महेशवासकंला तहसील आमेर जिला जयपुर

16–श्रीमति श्रवणी पत्नि श्री लक्षमण सिंह जाति जाट नि–महेशवासकंला तह0 आमेर जिला जयपुर

–प्रत्यर्थीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री राकेश शेखावत अपीलांटस की ओर से।

2– श्री सुरेन्द्र शर्मा रेस्पोडेंटस की ओर से।

3–श्री फूलचन्द पलसालिनया रेस्पो0 सख्या 14 लगता 16 की ओर से

:– निर्णय :– दिनांक :–09–05–2018

1– यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29–05–2017 न्यायालय सहायक जिला कलक्टर आमेर जिला जयपुर तहत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी राहूल व अन्य बनाम बलराम व अन्य मुकदमा नम्बर 153/2015 जिसके द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण कें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी राहूल व अन्य बनाम बलराम व अन्य मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 381 रकबा 0.57 हैक्टै0, खसरा नम्बर 381/326 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.75, खसरा नम्बर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.35 हैक्टै0, खसरा नम्बर 505 रकबा 1.30 कुल किता 06 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 389 रकबा 0.75 तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

खसरा नम्बर 370 रकबा 0.32 एवं खसरा नम्बर 372 रकबा 0.03 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टै0 जो वाके ग्राम महेशवासकलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वादीगण घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.08.2015 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण की तामील होने पर उनकी ओर से जवाबदेही प्रस्तुत की। उक्त प्रकरण दिनांक.29–5–2017 को सुनवाई के लिए राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम महेशवासकलां में रखा गया तथा पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर दिया बिना दिनांक 29.05.2017 को प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांकित 07.08.2015 को ताफैसला वाद स्थायी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय कें अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि कभी भी वादीगगण की संयुक्त परिवार की भूमि नहीं रही है। इसलिए उनका उक्त भूमि में 1/5– 1/5 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि श्री घीसा की मृत्यु के उपरान्त उसके प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड त्याग पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 08.02.2016 को करवाया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 अकेला हक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 505 रकबा 1.30 हैक्टै0 बीघा भूमि के 30/130 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी संख्या 1 के हक में कर दिया गया तथा उसका नामान्तरकरण अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गया तत्पश्चात् अप्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2015 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के हक में कर दिया गया तथा उनके हक में भी नामान्तरकरण तस्दीक किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। श्री घीसा के जीवनकाल या उनकी मुत्यु पर उक्त भूमि कभी भी संयुक्त हिन्दु परिवार की नहीं रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई अधिकार हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 8 के अन्तर्गत नहीं रहा है। प्रार्थीगण उक्त सम्पति के सह कृषक हिस्सेदार नहीं रही इसलिए उन्हें उक्त भूमि के विभाजन करवाये जाने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्डेड खातेदारान के विरूद्ध जो अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है वह अवैध है। वादग्रस्त आराजी को क्रय किये जाने के समय उक्त आराजी श्री बलराम के हक हिस्सेदारी की थी। उनके किसी पुत्र की खातेदारी की नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि का अन्तरण वादीगण के पिता श्री बलराम और घीसा के अन्य वारिस के हक में श्री घीसा के निर्वसियत निधन होने पर धारा 8 अनुसार हुआ है। बलराम द्वारा आंशिक हक हिस्से का विक्रय अपीलार्थी संख्या 01 को किया गया है तथा कब्जा संभलाया गया है एवं वही आंशिक भूमि अपीलांट संख्या 2 व 4 को विक्रय की गई है। वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजी में अपने पिता की 1/5 हिस्सेदारी के कथन करते स्वयं की 1/5 की खातेदारी होना कथन किया गया है। वादी द्वारा अपने पिता द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष

क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं क्योंकि उनके पिता द्वारा विक्रय कर दिये जाने के पश्चात् उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित तीनों घटकों के बारे में अपना कोई विवेचन नहीं किया गया है। प्रथमदृष्टया केस अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन तीनों घटक अपीलार्थी के पक्ष में इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 निरस्त किये जाने का अनुतोष अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिंये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 12 को वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादीगण द्वारा अपने पिता बलराम को विकृतचित कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वतंत्र पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश में जिसमें तीनों घटकों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है। अपीलान्ट क्रय किये जाने के दिन से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा रिकॉर्डेड खातेदार है। वादीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है इसलिए उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त सम्पत्ति बलराम की स्व–अर्जित सम्पत्ति है तथा वह इसे विक्रय करने के में सक्षम है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि अपील बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा घीसा की रही है इसलिए वह पैतृक कुषि भूमि है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों घटक रेस्पोडेंटस वादीगण के पक्ष में है। इसलिए अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14 लगायत 16 द्वारा कथन किया गया कि वे खसरा नम्बर 389 के 60/75 हिस्से के खातेदार है इसलिए इन्हें पाबन्द नहीं किया जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट सख्या 01 लगायत 04 द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को पैतृक होना कथन करते हुए तथा अपने पिता श्री बलराम प्रतिवादी सख्या 01 की भूमि में हक हिस्सा होना कथन करते हुए अपने हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है प्रकरण में दिनांक 7–8–2015 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर उभयपक्ष को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की वर्तमान स्थिति यथावत रखे जाने बाबत पाबंद किया गया है तथा दिनांक 29–05–2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर उक्त आदेश दिनांक 07–08–2015 को ता–फैसला वाद कन्फर्म किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत मुख्य रूप से आपत्ति ली गई है कि भूमि पैतृक नहीं है तथा श्री बलराम को अपने पिताजी से प्राप्त भूमि के अतिरिक्त उसकी

माता एवं बहिनों द्वारा किये गये हक त्याग से प्राप्त हुई है। इसलिये वादीगण संपूर्ण भूमि में 1/5,1/5 हिस्से की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी नहीं है अपीलान्टस सदभावी क्रेता है तथा रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है उसमें उल्लेख किया है कि " आज यह पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम महेशवासकंला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है।अतः न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 7–8–2015 को ता–फैसला वाद स्थाई किया जाता है।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आदेश पूर्णतया नॉन–स्पीकिंग आदेश है इसमें तीनों घटकों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है। अंतरिम आदेश दिनांक 07–08–2015 द्वारा उभयपक्ष को पाबंद किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश में प्रार्थी के पक्ष में तीनों घटक मानते हुए उसी आदेश को कन्फर्म कर दिया गया है जो कि न्यायालय द्वारा पारित किये गये निष्कर्ष के अनुकूल नहीं है।प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के जीवित रहते पैतृक सम्पत्ति में अपने हक अधिकारों की घोषणा चाही गई है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उनके पिता द्वारा जो वैध हस्तान्तरण किये जा चुके है उनपर प्रश्नचिन्ह इस स्टेज पर नहीं लगाया जा सकता है। जिन सदभावी क्रेंताओं द्वारा विधिवत भूमि क्रय कर मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा जो राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथमदृष्टया केस अपीलान्टस के पक्ष में है। यदि अपीलान्टस को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अपीलान्टस को होना संभावित है। प्रतिवादी संख्या 01 बलराम द्वारा किये गये विक्रय–पत्रों की वैधता के संबंध में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना अभी शेष है ऐसे में प्रकरण की वर्तमान स्टेज पर सुविधा का संतुलन भी सदभावी क्रेंताओं अपीलान्टस के पक्ष में है। अतः उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–05–2017 बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8–अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–05–2017 अपीलार्थीगण की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 09–05–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर